लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3795

12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृतसर वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार

3795. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर, जो कभी उत्तर भारत में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था, ने दशकों से अपने संपूर्ण वस्त्र आधार को लुप्त होते देखा है, जबकि यह अपनी ऊनी मिलों, शॉल बुनाई और रंगाई उद्योग के लिए जाना जाता था, जो कभी लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते थे;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमृतसर की रणनीतिक स्थिति के मद्देनजर, जो प्राय: युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करता है और जिसे सुरक्षा संवेदनशीलता के कारण सतत निवेश और अवसंरचनात्मक सहायता से वंचित किया जा रहा है, वहां पर वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार केवल उद्योग को पुनर्जीवित करने और सीमावर्ती गांवों में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए सब्सिडी, कौशल विकास केंद्र, निर्यात सुविधा सहित एक वस्त्र मेगा क्लस्टर, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), या सीमा वस्त्र संवर्धन पैकेज स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, पंजाब के अमृतसर जिले में वस्त्र क्लस्टर में 225 पावरलूम इकाइयाँ, 2,880 पावरलूम शटल लूम और 640 पावरलूम शटललेस लूम हैं। सरकार अमृतसर क्लस्टर सहित पूरे भारत में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ/पहलें क्रियान्वित कर रही है। देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, विनिर्माण में "जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट" के साथ "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इकाइयों को ऋण-आधारित पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करने हेतु जनवरी 2016 में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) शुरू की गई थी। यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वैध थी। एटीयूएफएस के तहत, 71 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और अमृतसर स्थित इकाइयों को अब तक 12.94 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

सरकार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए (समर्थ) योजना (एससीबीटीएस) भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य संगठित वस्त्र (कताई और बुनाई को छोड़कर) और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित और पूरक करने तथा पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल-उन्नयन प्रदान करने हेतु मांग-संचालित, प्लेसमेंट-उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। दिनांक 11.08.2025 तक, पंजाब राज्य में कुल 1,105 कर्मियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया, जिनमें से 820 को रोजगार दिया गया।

इसके अतिरिक्त, वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत, पंजाब राज्य में एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से देश में ऊन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को क्रियान्वित कर रहा है और आईडब्ल्यूडीपी के तहत पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में "मोटे और रिसाइकिल ऊनी कपड़े से सस्टेनेबल जियोसिन्थेटिक विकसित करने" पर अनुसंधान और विकास करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है।

अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, कौशल और निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2, मानव निर्मित फाइबर और परिधान पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, और बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी वस्त्र सहित कई अन्य योजनाएं अमृतसर क्लस्टर सहित पूरे भारत में वस्त्र उद्योग को समर्थन देने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

****